संख्याः 254/68-5-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल 2020

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/ अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु भारतीय जीवन बीमा के गु्रप टर्म इन्श्योरेन्स पॉलिसी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांकम0नि0स्कू0शि0/6892/2019-20 दिनांक 11 मार्च 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/ अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु भारतीय जीवन बीमा के गु्रप टर्म इन्श्योरेन्स पाॅलिसी लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु भारतीय जीवन बीमा के गु्रप टर्म इन्श्योरेन्स पाॅलिसी के संबंध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त पाॅलिसी की कार्यवाही स्वैच्छिक होगी और इस प्रक्रिया में सरकारी संस्था के उपक्रम के माध्यम से ही अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तद्दैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0 ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/